


| तारीख हुकम | <p>मेगलन-5 बनाम व/बुलालवर्ग</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p> <p>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेध सं. 109/2021</p>  |
|------------|--|
| 22.8.22    | <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फार...<br/> उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी<br/> होरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोर्टिंग हैं<br/> हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हो<br/> सं. 31.8.22 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>   |
| 31.08.2022 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।<br/> वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बार-बार आवाज दिलवाई<br/> गई लेकिन वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 कोर्ट समाप्ति तक<br/> उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक<br/> पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई<br/> निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकील वादीगण की सहमति<br/> से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से विधिक विभाजन हेतु<br/> वादपत्र में आज प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी<br/> स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने<br/> का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को<br/> इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर<br/> बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> (दिलीप सिंह)<br/> उपखण्ड अधिकारी श्रीमधोपुर (सीकर)<br/> उपखण्ड अधिकारी, श्रीमधोपुर </p> |